न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर, सारण।

हकितय वाद सं0– 93 सन् 2001

बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह.....वादी

बनाम

सुकेश्वरी देवी व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः– 26.04.2019

वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया है।

आदेश

प्रार्थी ने उपरोक्त वाद वास्ते पाने अन्य दादरसी के एराजी मुन्दर्जे सिडिउत नं0 2 वो 2 क बजैल अर्जीनालिश में रंग लाल वो हरा कमशः अक्षर क, ख, ग, घ एवं अक्षर च, छ, ज, क से दिखलाया गया है। जो मुदई की हकियत पूर्ण दखली एराजी मुन्दर्ज सिडिउत नं0 1 बजैल अर्जीनालिश का अंश है। उस पर के मुदालह प्रथम पक्ष का अनाधिकार कब्जा हटवा कर उसपर मुदई दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर किया है। उपरोक्त एराजी मुन्दर्ज सिडिउल नं0 1, 2 वो 2 क का पूर्ण विवरण एवं उपरोक्त नजरी नक्शा का भी हूबहू नक्शा इस आवेदन पत्र के अंत में दर्ज किया जाता है।

एराजीयात मुन्दर्ज सिडिउल नं0 1 बजैल अर्जीनालिश प्राथी की नलिहाली तड़का की भूमि है। जिसपर मुदई दखलकार चला आया। एराजी तकरारी मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क प्रार्थी की एराजी मुन्दर्ज सिडिउल नं0 1 बजैल अर्जीनालिश का अंश है। प्रार्थी के इस दावी को न्यायालय द्वारा नियुक्त सर्वे जानकार अधिवक्ता स्थल पर जाकर वाद नापी के बाद में अपना प्रतिवेदन इस कथन के साथ दाखिल

किये कि एराजीयात मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क बजैल अर्जीनालिश प्रार्थी की एराजीयात मुन्दर्ज एराजी सिडिउल नं0 1 ब जैल अर्जीनालिश का अंश और अधिवक्ता आयुक्त द्वारा दाखिल प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा संपुष्ट भी हो चुका है। प्रार्थी जो लगभग 84 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है तथा वह बहुत दिनों से असाध्य रोगों से ग्रसित चला आ रहा है। जिस कारण प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा एवं इलाज के कम में प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यगण काफी व्यस्त चले आ रहे हे। और इस स्थिति को अनुचित लाभ उठाकर मुदालहम फरीक 1 जो अत्यंत ही शोख जबरदस्त व्यक्ति होने के साथ–साथ वे जन बल एवं धनबल से परिपूर्ण व्यक्ति हैं। वे अपने धनबल जो जन बल का अनुचित लाभ उठाकर वे जल्दी–जल्दी बादग्रस्त भूमि मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क के भवन निर्माण कार्य करके इसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने पर तुले हुए है।

वादग्रस्त भूमि प्रार्थी का हकियत पूर्ण दखली भूमि मुन्दर्ज सिडिउल नं0 1 बजैल अर्जीनालिश का अंश हैं और प्रार्थी को बादग्रस्त भूमि के मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क बजैल अर्जीनालिश के निस्वत अपने हकियत के संबंध में अपना पूर्ण बयान अपने वाद पत्र में किय है तथा साथ ही साथ सर्वे विशेषज्ञ अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से भी स्पष्ट है। प्रार्थीगण को प्रत्यक्ष दृष्टया वाद प्रार्थी के पक्ष में है और प्रार्थी ही उसका एकमात्र स्वामी है। मुदालहम प्रथम पक्ष वाद ग्रस्त भूमि में भवन निर्माण कर इसके वर्तमान स्वरूप में इस वाद के दौरान सफलीभूत हो जायगा तो वैसी हालत में प्रार्थी को अपूर्णाय क्षति होगी। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क बजैल अर्जीनालिश के संबंध में मुदालहम फरीक 1 के विरूद्ध निषेधाज्ञा निर्गत करने हेतु सुविधा का पलड़ा प्रार्थी के पक्ष में है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित न्याय हेतु प्रार्थी के निवेदनानुसार निषेधाज्ञा निर्गत होना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि कृपया आवेदन पत्र को स्वीकार कर मुदालहम प्रथम पक्ष के विरूद्ध निषेधाज्ञा निर्गत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस वाद के

दौरान वादग्रस्त भूमि मुन्दर्ज सिडिउल नं0 2 वो 2 क में भवन निर्माण करके या अन्य किसी प्रकार से इसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने से रोक देने की कृपा प्रदान किया जाय।

मुदालह नं0 7 वो 7 क ने निम्नलिखित बयान किया है कि मुदई ने बिल्कुल गलत बयान के साथ इंतनाई का आवेदन दाखिल किया है जो काबिल खारिज के है। सर्वे हाल नं0 1414 अंदर खाता नं0–375 की जमीन मुदई की है सही है। सर्वेहाल नं0 1414 के सटे पश्चिम सर्वेहाल–1415 है जो खाता नं0 352 के अंतर्गत है और जिसका सर्वे हाल का खतियान भुनेश्वर सिंह वल्द अमर सिंह करके दर्ज पाया है। जिससे सर्वेहाल के समय से ही भुनेश्वर सिंह मोरीश मन मुदालहम का आवासिय मकान वो सहन है। साबिक सर्वे में सर्वे हाल नं0 1414 कर साबिक नं0 848 था जिसका रकबा 18 डिसमिल था और जो मोरिश मुदई के मोरीश के नाम से साबिक सर्वे के खतियान में दर्ज पाया। उसी प्रकार सर्वे नं0 1415 का साबिक नं0 849 है जिसका रकबा 23 डिसमिल है जो मोरीश मन मुदालह के नाम है साबिक सर्वे के खतियान में दर्ज पाया है। साबिक सर्वे के नक्शा और हाल सर्वे के नक्सा का एक तुलनात्मक विवरण इस तरदीदी के नीचे दिया जाता है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि हाल सर्वे का जो नक्शा तैयार हुआ है वह गलत तैयार हुआ है सर्वे हाल नं0 1414 और 1415 का रकबा भी गलत दर्ज हुआ है। साकिब सर्वेहाल सर्वे के नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुदई द्वारा बयान किये गए तथाकथित अतिकमण हरगिज मुदई के सर्वे प्लॉट नं0 1414 का अंश नहीं है बल्कि जो भी अतिकमण मुदई द्वारा बेयान किया गया है वह सभी जमीन सर्वेहाल नं0 1415 का अंश है जिस पर साबिक सर्वे के समय से ही मोरिस मन मुदालहम तथा मन मुदालहम का दखल कब्जा चला आता हैं। उस एराजी पर मन मुदालहम का आवासीय महान वो सहन है। सर्वे हाल के नक्शा में सर्वे नं0 1414 वो 1415 का गलत नक्शा दर्ज होने के चलते मुदई उसका नाजायज फायदा उठाने के ख्याल से उपरोक्त

मोकदमा दाखिल किया है एवं जिससे इंतनाई का आवेदन पत्र दाखिल किया है जो खारिज होने योग्य है। पूर्व में मन मुदालहम या उनके पिता को इस मोकदमा की जानकारी नहीं हो सकी थी इसलिए मन मुदालहम के पिता उक्त मोकदमा में हाजिर होकर अपना कोई बेयान तहरीरी दाखिल नहीं किये थे। पिता मन मुदालहम की मृत्यु के बाद जब मन मुदालह के नाम से समन नोटिस निर्गत हुआ तब मन मुदालहम को उक्त मोकदमा की जानकारी हुई और मन मुदालहम ने अपने अधिवक्ता के मार्फत उक्त मोकदमा के अभिलेख का अवलोकन कराया तब मन मुदालहम को पहले पहल पता चला कि मुदई अपने मेल में मुदलह नं0 3 एवं मुदालह नं0 8 को मेल में लाकर गलत बेयान के साथ सही वस्तु स्थिति के विपरित अपने लाभ से दाखिल करा दिये हैं। मुदई को इंतनाई जारी करने का काई प्राईमाफेशी कस नहीं है और इंतनाई नहीं जारी होने से न मुदई को कोई अपूर्णीय और न मुदई का बैलेस ऑफ कन्भिनियेंस डिसटरब होगा बल्कि इंतानई जारी हो जाने से मन मुदालहम को अपूर्णीय क्षति होगी और मन मुदालहम का बैलेंस ऑफ कन्भिनियेंस डिसटरब हो जायेगा क्योंकि जैसा कि उपर बेयान किया जा चुका है। मुदई द्वारा कथित अतिकमण जमीन हरगिज मुदई के सर्वे प्लॉट नं0 1414 का अंश नहीं है। बल्कि वह मन मुदालहम की दखली स्थित मौरूसी जमीन सर्वे हाल नं0 1415 का अंश है। जिस पर साबिम सर्वे के समय से ही मोरिस मन मुदालहम एवं मन मुदालहम का मकान वो सहन है। इंतनाई की मैटर की सुनवाई के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है मन मुदालहम अपने इस तरदीद में बेयान करते है और अलग से बेयान तहरीरी देने का अधिकार मन मुदालहम सुरक्षित रखते हैं। अतः निवेदन है कि मुदई के इंतनाई आवेदन पत्र को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी की ओर से अपने इंतनाई आवेदन के माध्यम से मुख्यतः कहना है कि विवादित एराजी सिडियुल नं0 2 वो 2 (क) बजर अर्जीनालिश में रंग लाल व हरा कमशः

क,ख,ग,घ एवं अक्षर च,छ,ज,क दिखाया गया है। जो वादी की हकियत पूर्ण दखली एराजी मुन्दर्ज सिडियुल नं0 1 बजर अर्जीनालिश का अंश है। उसपर के प्रतिवादी प्रथम पक्ष का अनाधिकार कब्जा हटवाकर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर किया है। इस प्रकार वादी का कहना है कि विवादित एराजी सिडियुल नं0 2 और 2 (क) सिडियुल नं0 1 का अंश है। जबकि प्रतिवादी नं0 7 और 7(क) का अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से मुख्यतः कहना है कि सर्वे हाल नं0 1414 अंदर खाता नं0 375 की जमीन वादी कह है सही हैं। सर्वे हाल नं0 1414 के सटे पश्चिम सर्वे हाल 1415 है, जो खाता नं0 352 के अंतर्गत है और जिसका सर्वे हाल खतियान भुनेश्वर सिंह वल्द अमर सिंह करके दर्ज पाया है। उसमें सर्वे हाल के समय से ही भुनेश्वर सिंह मनमुदालहम का अवासीय मकान व सहन है। साबिक सर्वे में सर्वे हाल नं0 1414 का साबिक नं0 848 था जिसका रकबा 18 डिसमिल था और जो मोरिस वादी के मोरिस के नाम से साबिक सर्वे खतियान में दर्ज पाया है। उसी प्रकार सर्वे नं0 1415 का साबिक नं0 849 है जिसका रकबा 23 डिसमिल है। जो मोरिस मनमुदालहम के नाम से साबिक सर्वे के खतियान में दर्ज पाया। साबिक सर्वे का नक्सा और हाल सर्वे के नक्सा का एक तुलनात्मक विवरण तथा तरदिद के निचे दिया जाता है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि सर्वे का जो नक्सा दिया हुआ है वह गलत दिया हुआ है। सर्वे हाल नं0 1414 और 1415 का रकबा भी गलत दर्ज हुआ है। साबिक हाल सर्वे के नक्सा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा ब्यान किए गए तथा कातिब अतिकमण हरगिज वादी का सर्वे प्लॉट नं0 1414 का अंश नहीं है, बल्कि जो अतिकमण वादी द्वारा बयान किया गया है वह सभी जमीन सर्वे हाल नं0 1415 का अंश है। जिस पर साबिक सर्वे के समय से ही मोरिस मनमुदालहम तथा मनमुदालहम का दखल कब्जा चला आता है। असल एराजी की मनमुदालहम का अवासीय मकान और सहन है। सर्वे के नक्सा में सर्वे नं0 1414 व 1415 का गलत नक्सा दर्ज होने के चलते मुदई उसका नाजायज फायदा उठाने के चलते उपर्युक्त

मुकदमा दाखिल किया है। इस प्रकार वादी के द्वारा अपने विवादित भूमि सर्वे हाल नं0 1414 का अंश होने का दावा किया जा रहा है। जब कि प्रतिवादी के द्वारा साबिक सर्वे में गलती होने के आधार पर इंकार किया गया है। इस वाद में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया है कि कुछ विवादित एराजी का सिडियुल नं0 1 का अंश है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन मे

1. The two blocks begged out by the plff. are part of R.S. Plot No. 1414. Some eastern portion of block No. 1 lie in the bandh as has been shown below.
2. Block No. 2 is also part of R.S. Plot No. 1414 which contains the eastern portion of the that ched dalan of the Defts. and also the eastern brick house of the defendant the land over which the chhazza of the house extends as shown below with measurement.

इस वाद में अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति गई है उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विवादित एराजी के पास में एक टेलर ईटा और बालू पाया है। इस प्रकार मनमुदालहम निर्माण के लिए सामाग्री एकत्रित किए हैं। अधिवक्ता आयुक्त का कहना है कि जब तक सर्वे कमिश्नर स्पॉट पर नापी नहीं करेंगे तथा उक्त भूमि के बार में अतिकमण है या नहीं। स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार इस वाद में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई है। उन्होंने कुछ विवादित एराजी को सिडियुल नं0 1 का अंश पाया है इस प्रकार सर्वे कमिश्नर के रिपोर्ट से स्पष्ट हे कि प्रतिवादीगण के द्वारा अतिकमण किया गया है। विधि के कार्य विवादित एराजी को संरक्षण प्रदान करना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है, ना कि प्रतिवादीगण के पक्ष में है।

यदि वादीगण के पक्ष में इंतनाई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः वादी का इंतनाई आवेदन दिनांक 29.01.2019 को स्वीकृत किया जाता है। उभय पक्षों को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। वाद के दौरान वादग्रस्त भूमि मुन्दर्ज सिडियुल नं0 2 और 2(क) में भवन निर्माण करने या किसी अन्य प्रकार से इसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करने से अगले आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।